

अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45 – MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत -
Total grant	Actual expenditure	Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original	514,58,00		
पूरक	Supplementary	95,53,00	610,11,00	527,62,75
				-82,48,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			82,30,07
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत -	Voted -		95,51,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			95,51,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹8248.25 लाख) अगस्त, 2011, नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹9553.00 लाख के पूरक अनुदान का 86 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹8248.25 lakhs) constituted 86 percent of the supplementary grants of ₹9553.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and 14 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/ हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services			
मू.	O.	1516.00	1246.68	1243.52
पु.	R.	-269.32		-3.16

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"			
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O. 43465.00			
पू.	S. 9552.00	51521.81	51507.79	-14.02
पु.	R. -1495.19			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O. 5999.00			
पू.	S. 1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R. -5999.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 476.00			
पु.	R. -464.56	11.44	11.44	..
(I) ₹6853.48 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; जिसमें से ₹6700.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-	(I) Provision of ₹6853.48 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these ₹6700.00 lakhs accounted for under the following major heads:-			
(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता का उन्नयन संबंधी स्कीम" - ₹399.98 लाख स्कीम को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।	(A) "Major Head "2408" - "Food - Food Processing - Horticulture Based Industries - Scheme for Upgradation of quality of Street Food" - ₹399.98 lakhs - due to non-receipt of approval of the scheme from the competent authority.			
(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" -	(B) Major Head "2552"- "Food - Food Processing"-			
(क) "बागवानी आधारित उद्योग - मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम" - ₹200.00 लाख ;	(a) "Horticulture Based Industries - Scheme for Human Resources Development" - ₹200.00 lakhs;			
(ख) "बागवानी आधारित उद्योग - प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण क्रियाकलापों का आधुनिकीकरण संबंधी	(b) "Horticulture Based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment,			

स्कीम” - ₹1500.00 लाख;

Modernization of Food Processing Industries”-
₹1500.00 lakhs;

(ग) “दुग्ध आधारित उद्योग - गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास और अन्य प्रोत्साहक कार्यकलापों संबंधी स्कीम” - ₹700.00 लाख; और

(c) “Milk Based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, Research and Development and Other Promotional Activities- ₹700.00 lakhs; and

(घ) “अवसंरचना विकास संबंधी स्कीम” - ₹3450.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(d) “Scheme for Infrastructure Development”- ₹3450.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - अवसंरचना विकास के लिए सहायता” - ₹450.02 लाख स्कीम के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(C) Major Head “3601”- “Grants for Central Plan Schemes - Food - Food Processing - Assistance for Infrastructure Development” - ₹450.02 lakhs - due to non-receipt of viable proposals owing to non-fulfilling of requisite conditions under guidelines of the Scheme.

(II) मुख्य शीर्ष “2408” - “खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम” के अंतर्गत ₹3549.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹9550.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹13099.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो स्कीम के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ₹1950.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head “2408” - “Food - Food Processing - Scheme for Strengthening of Institutions”- the original provision of ₹3549.00 lakhs was augmented to ₹13099.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9550.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1950.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals owing to non-fulfilling of requisite conditions under guidelines of the scheme.

(III) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय” के अंतर्गत ₹272.48 लाख की बचत (₹1516.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of Food Processing Industries” - saving of ₹272.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1516.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष “2408” - “खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - अवसंरचना विकास संबंधी स्कीम” के अंतर्गत ₹9083.74 लाख की बचत (₹26100.68 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्यमियों/संस्थाओं/संगठनों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2408” - “Food - Food Processing - Scheme for Infrastructure Development”- saving of ₹9083.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26100.68 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from entrepreneurs /institutions/ organisations and economy measures.

2. बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9871.40 लाख) प्रतिसंतुलित हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) "बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम" - ₹9625.97 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9612.97 लाख था।

(II) "दुग्ध आधारित उद्योग - गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास और अन्य प्रोत्साहक क्रियाकलाप संबंधी स्कीम" - ₹245.43 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹244.41 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

2. The above savings were partly (₹9871.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "2408" - "Food - Food Processing" - under the following heads:-

(I) "Horticulture Based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries" - ₹9625.97 lakhs. Actual excess, however, was ₹9612.97 lakhs.

(II) "Milk Based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, Research and Development and other Promotional Activities" - ₹245.43 lakhs. Actual excess, however, was ₹244.41 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head
मुख्य शीर्ष "4408"	Major Head "4408"
खाद्य, भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing
मू.	O. 9550.00
पु.	R. -9550.00

(I) ₹9551.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹9550.00 लाख अकेले "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम" के अंतर्गत इस शीर्ष के अंतर्गत गलती से प्रावधान किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए और जिसे पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए पूरक प्रावधान प्राप्त करने के लिए अंततः अभ्यर्पित किया गया।

(I) Provision of ₹9551.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹9550.00 lakhs alone accounted for under "Food - Food Processing - Scheme for Strengthening of Institutions" - due to inadvertent provisioning under this head which was eventually surrendered to obtain supplementary provision for creation of capital assets.